राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

क्रमांकः एफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/12877-12918 दिनांकः–01/9/14

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त ।

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त ।

विषयः– राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि प्रवक्ताओं की सेवाऐं लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8(14)त.शि./2006 दिनांक 11.08.2014 द्वारा राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि प्रवक्ता के रूप में सेवाऐं निम्नानुसार लिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164ए के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से पुनर्नियुक्त किया जावेगा।
2. जिन पदों के लिए सेवानिवृत कार्मिक उपलब्ध नहीं होवे तो पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर अतिथि प्रवक्ता के रूप में निम्न शर्तो पर विद्याथियों के अध्यापन हेतु अनुमति दी गई हैः–

(i) अतिथि प्रवक्ता को मानदेय रूपये 250/– प्रतिकालांश अधिकतम 80 कालांश प्रतिमाह एवं अधिकतम देय पारिश्रमिक 20000/– प्रतिमाह देय होगा।

(ii) गैर सेवारत एवं नये अभ्यर्थी की अतिथि प्रवक्ता के रूप में सेवाऐं नहीं ली जावेगी।

(iii) अतिथि प्रवक्ता के रूप में सेवाऐं सेवानिवृत प्रवक्ताओं तथा अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों/संस्थानों में सेवारत प्रवक्ताओं से ली जा सकेगी।

(iv) अतिथि प्रवक्ता को समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि प्रवक्ता के रूप में दी गई सेवाओं के लिए कुल मानदेय रूपये 25000/– प्रतिमाह से अधिक देय नहीं होगा।

(v) अतिथि प्रवक्ता सेवा नियमों में निर्धारित योग्यता धारित होंगे।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग के आई.डी. क्रमांक 151400265 दिनांक 06.08.2014 के तहत प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गई है। सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि प्रवक्ताओं की सेवाऐं उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार ली जावे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालना किया जावे।

भवदीय,